<u>आडिट प्रस्तर/समयबद्व</u>

<u>संख्या-111/1226/84-1-13-20बामा(आडिट)/2013</u>

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग
उ0प्र0, लखनऊ।

2- निवंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

3-अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण
निगम जवाहर भवन, लखनऊ।

4- अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ।

<u>उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1</u> लखनऊ दिनॉक 04 दिसम्बर, 2013

विषय- दिनॉक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व क्षेत्र) में विभाग से संबंधित प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-30/1002/84-1-13-20 बामा (आडिट)/ 2013, दिनॉक 30 सितम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में सचिव वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या-बी-4-529/दस-2013/10(10)/2013 दिनॉक 23-10-2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रस्तर-1.1.3 का अंश ब्याज प्राप्तियॉं पर भी विभाग से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के पत्र द्वारा वांछित **प्रस्तर-1.1.3 का अंश ब्याज प्राप्तियॉं** के संबंध में विभाग से संबंधित प्रस्तरों पर व्याख्यात्क टिप्पणी सम्मिलित करते हुए पूर्व पत्र द्वारा वांछित टिप्पणी सी0डी0 सहित शासन को प्रत्येक दशा में **<u>दिनॉक 06-12-2013 तक</u>** निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,
(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in